वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत
संख्याः 185 /xvii–3/2009–07(38)/2008

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–3 **देहरादून** **दिनांक 22 फरवरी, 2010**

विषयः– **चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक में समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत पक्ष में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु पूर्वदशम् छात्रवृत्ति (75 प्रतिशत केन्द्र पोषित) की मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के पत्र संख्या–11/27/2009–PP(PPR) दिनांक 13 नवम्बर, 2009 (छायाप्रति संलग्न), के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु पूर्वदशम् छात्रवृत्ति (75 प्रतिशत केन्द्र सहायतित) दिये जाने हेतु **रुपये 18,750.00 (रुपये अठारह हजार सात सौ पचास मात्र)** की धनराशि का केन्द्रांश (75 प्रतिशत) राज्य के **18 छात्रों** हेतु अवमुक्त की गयी है, जिसमें **रुपये 6,250.00 (रुपये छः हजार दो सौ पचास मात्र)** की धनराशि का राज्यांश सम्मिलित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त छात्रवृत्ति योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–15 के **"आयोजनागत"** पक्ष में प्राविधानित धनराशि में से उपरोक्त प्रस्तर में उल्लिखित **रुपये 25,000.00 (रू0 पचीस हजार मात्र)** की धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–205/ XXVII(1)/2009, दिनांक 25 मार्च, 2009 के क्रम में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके नियंत्रण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(I) आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए, और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए। अवचनद्व मदों में से व्यय करने से पूर्व शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाय। योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) उक्त आवंटित धनराशि किसी मद पर व्यय करने से पूर्व जिसमें वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

(III) किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर परचेज रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) के आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(IV) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से **अनुदान संख्या–15 "आयोजनागत्"** शब्द स्पष्ट किया जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

(V) वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

(VI) मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मितव्ययिता/अवचनवद्व की मदों में व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति कराना सुनिश्चित करें।

(VII) यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(VIII) अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(IX) उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

(X) बी0एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(X) उक्त धनराशि का आहरण/व्यय शासनादेश दिनांक 28 जुलाई, 2009 के आलोक में योजनान्तर्गत निर्धारित शर्तों एवं दिशा–निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्यय की अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत पक्ष में **लेखाशीर्षक–2250–अन्य सामाजिक सेवायें–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें–0105–अल्पसंख्यक वर्ग के पूर्वदशम् छात्रवृत्ति (75 प्रतिशत के0स0) के मानक मद 21–छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन** के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या– 873(P)/XXVII(3)09-10 दिनांक 16 फरवरी, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नः यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्याः– 185 (1)/xvii–3/2009–07 (38)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री, उत्तराखण्ड।
2– निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– जिलाधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
8– वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी–नैनीताल, उत्तराखण्ड।
9– समस्त जिला समाज कल्याण, अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– सचिव, उत्तराखण्ड अल्पंख्यक आयोग, देहरादून।
11– वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
12– अवर सचिव, भारत सरकार, अल्प संख्यक कार्य मत्रांलय नई दिल्ली के पत्र संख्या 11/27/2009–PP(PPR) दिनांक 13 नवम्बर, 2009 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
13– बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन नि0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14– समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
15– राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
16– आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(आर0 के0 चौहान)
अनु सचिव।